

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/अपील संख्या 5204/देवीदयाल/को.के./20-21

दिनांक:- 28/08/2022

प्रधानाचार्य,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
महारासर छछेरा सरदारशहर (चूरु)

विषय:-देवी दयाल यादव व्या0 वाणिज्य के विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांक
21.01.2022 की पालना में कार्यग्रहण करवाने हेतु

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:-शिविरा/माध्य/
संस्था/ सी-2/अपील संख्या 5204 देवीदयाल/को.के./2021 दिनांक 21.01.2022 द्वारा
देवीदयाल यादव व्याख्याता वाणिज्य राउमावि अजीतगढ सीकर का पदस्थापन राउमावि
महारासर छछेरा चूरु किया गया।

उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि समसंख्यक आदेश की पालना
सुनिश्चित तत्काल कर इस कार्यालय को अवगत करावे।

सलग्न:-उपर्युक्तानुसार आदेश दिनांक 21.01.2022 की प्रति।

संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 26/08/2022

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/अपीलसंख्या 5204/देवीदयाल/को.के./20-21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
- 2 संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
- 3 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) जयपुर।
- 4 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
- 5 जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक-विधि)
- 6 विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
- 7 सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- 8 संबंधित प्रधानाचार्य/शाला को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार
शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करावे।
- 9 संबंधित कार्मिक
- 10 गार्ड फंजिका।

संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:-कार्यालय आदेश:-

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक क्रमांक:-शिविरा-माध्य /संस्था/सी-2/इति-वाणि/स्थानान्तरण /2021 दिनांक:-30.09.2021 के तहत देवी दयाल यादव व्या0 वाणिज्य राउमावि, अजीतगढ़-सीकर का स्थानान्तरण होने पर देवी दयाल यादव ने माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 5204/2021 देवी दयाल यादव बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की।

माननीय अपील अधिकरण जयपुर के आदेश दिनांक 02.11.21 में विभागीय आदेश दिनांक 30.09.2021 को अपीलार्थी के संबंध में अपास्त कर विभाग को नये सिरे से नियमानुसार स्थानान्तरण करने हेतु स्वतंत्र किया और ऐसे स्थानान्तरण पर उक्त आदेश बाधक नहीं होने के निर्देश प्रदान किए।

अतः उक्त विभागीय आदेश दिनांक 30.09.2021 को अपीलार्थी के हद तक निरस्त किया जाता है और प्रशासनिक अत्यावश्यकता एवं छात्रहित में निवारणार्थ देवी दयाल यादव को नवीन आदेश प्रसारित करते हुए राउमावि महारासर छछेरा(215318)चुरू में पदस्थापित किया जाता है। संबंधित अधिकारी आदेश की तत्काल पालना सुनिश्चित करें।

इन्हें उक्त पदस्थापन पर योगकाल एवं यात्रा भत्ता नियमानुसार देय होगा।



(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा,

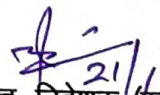
राजस्थान बीकानेर

दिनांक:- 21-01-22

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/अपीलसंख्या 5204/देवीदयाल/को.के/20-21
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय),
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक-विधि)
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य/शाला को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करावे।
9. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका।

सत्यमेव जयते


संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर